न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री विश्वामित्र मीना आर.ए.एस.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वाद संख्या :— 03 / 123 / 2018

1. जयसिंह पुत्र रामचन्द्र जाति गुर्जर निवासी नागल चन्देल तहसील राजगढ ....प्रार्थी

बनाम्

1. तहसीलदार राजगढ ....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 136 एल0आर0एक्ट0
उपस्थित : स्वमं प्रार्थी

निर्णय दिनांक 12.11.2018

आज यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाद जॉच रिपोर्ट नायब तहसीलदार टहला से प्राप्त होने पर पेश हुआ। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेंश कर निवेदन किया की ग्राम नागल चन्देल तहसील राजगढ की जमाबंदी सम्वत् 2069—75 की खाता संख्या 46 में मेरा नाम जौसिंह पुत्र रामचन्द्र तथा खाता संख्या 47 90, 48, 91 में मेरा नाम जौसिंह पुत्र रामचन्द्र दर्ज रिकार्ड है जो की अशुद्व है। मेरा सही नाम खाता संख्या 13, 11, 40 में जयसिंह पुत्र रामचन्द्र दर्ज रिकार्ड है जो की सही है। अतः खाता संख्या 46, 47, 48, 90, 91 में मेरा नाम जयसिंह पुत्र रामचन्द्र सही करने का निवेदन किया। पुष्टि में प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत शपथ पत्र जमाबंदी सम्वत् 2069—75 खाता संख्या 13, 11, 40, 46, 47, 48, 90 और 91 की नकल पेंश की व आधार कार्ड फोटो पहचान पत्र राशन कार्ड पेंश की है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी पर नायब तहसीलदार टहला की जॉच रिपोर्ट तलब की गई। नायब तहसीलदार टहला व पटवारी हल्का धीरोडा की जॉच रिपोर्ट प्राप्त है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी व प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया। नायब तहसीलदार टहला व पटवारी हल्का धीरोडा की जॉच रिपोर्ट का भी अवलोकन किया। जैसा कि संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2069—2075 खाता संख्या 13, 11, 40, 46 के अंकित इन्द्राज के अनुसार प्रार्थी का नाम खातेदारी में जयसिंह पुत्र रामचन्द्र दर्ज है। तथा जमाबंदी सम्वत् 2069—2075 खाता संख्या 47, 90, 48, 91 में प्रार्थी का नाम जौसिंह पुत्र रामचन्द्र दर्ज है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड फोटो पहचान पत्र, राशन कार्ड में प्रार्थी का नाम जयसिंह पुत्र रामचन्द्र होने की पुष्टि होती है। सरपंच ग्राम पंचायत धीरोडा द्वारा जारी प्रमाण पत्र में जयसिंह पुत्र रामचन्द्र नाम का गॉव में एक ही व्यक्ति है होना अंकित किया। तथा जयसिंह व जौसिंह एक ही व्यक्ति होने के तथ्य साबित कियें। प्रार्थी के स्वमं शपथ पत्र में भी जौसिंह व जयसिंह एक ही व्यक्ति होने की पुष्टि की है। जॉच रिपोर्ट पटवारी हल्का धीरोडा व नायब तहसीलदार टहला की रिपोर्ट से प्रार्थना पत्र प्रार्थी सही होने की पुष्टि की है। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेज व जॉच रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी काबिल स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0 का स्वीकार किया जाता है। हाल विवादित आराजी खाता संख्या 46, 47, 48, 90 तथा 91 वाके ग्राम नागल चन्देल तहसील राजगढ में अंकित आराजीयात में प्रार्थी का नाम जो जौसिंह पुत्र रामचन्द्र दर्ज है में से जौसिंह को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर प्रार्थी का सही नाम जयसिंह पुत्र रामचन्द्र दुरूस्त करने के आदेश तहसीलदार राजगढ को दिये जाते है। अर्थात हाल रिकार्ड में प्रार्थी का सही नाम जौसिंह के स्थान पर जयसिंह दुरूस्त किया जावे। शेष इन्द्राज यथावत रखा जावें। निर्णय प्रति तहसीलदार राजगढ को पालना हेतु भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो।

(विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)